तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मु.नं. 12/2022 प्रा०पत्र स्थानांतरण उनवान छाजूराम बनाम किशोर वगैरा।	
8-4-22	आज पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश पर / अन्य कार्य में व्यस्त होने से गत आदेशों की पालना में पत्रावली नियत दिनांक 29-4-22 को पेश हो	
29-4-22	आज पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश पर अन्य कार्य में व्यस्त होने से गत आदेशों की पालना में पत्रावली नियत दिनांक 4-5-22 को पेश हो	
4-5-22	पत्रावली पेश हुई। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थी सं० उपस्थित। बार-2 आवाज लगवाने के उपरान्त भी अधिवक्ता प्रार्थी अथवा प्रार्थी में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रकरण में तत्कालीन पीठासीन अधिकारी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय श्री रणजीत सिंह गोदारा का स्थानांतरण हो चुका है इसलिये, प्रार्थना पत्र स्थानांतरण को आगे चलाये जाने का औचित्य नहीं है, प्रार्थना पत्र स्थानांतरण खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी क्रं. 1 द्वारा भी राजकीय अधिवक्ता के उक्त कथन से सहमत होना व्यक्त किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं राजकीय अधिवक्ता के कथन पर मनन किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री रणजीत सिंह गोदारा का स्थानांतरण हो चुका है तथा अधिवक्ता प्रार्थी अथवा प्रार्थी में से कोई भी, पैरवी हेतु उपस्थित नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय में विचाराधीन प्रकरण मु.नं. 96/2017 उनवानी छाजूराम बनाम किशोर आदि, मु.नं. 110/2017 किशोर उर्फ रामकिशोर बनाम छाजूराम एवं मुकदमा नम्बर 514/2016 उनवानी रामकिशोर बनाम छाजू आदि को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानांतरण करने हेतु, प्रार्थी छाजूराम पुत्र अमरचन्द जाति ... क्रमशः (हस्ताक्षर) अति. जिला कलक्टर	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अति॰ जिला कलक्टर दौसा

तारीख हुक्म	मु॰नं॰ 12/2022 प्रा॰पत्र स्थानांतरण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज़ उनवान- छोगुराम बनाम किशोर कोय	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	माली निवासी ग्राम सीकरी तहसील सिकराय द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानांतरण खारिज किया जाता है निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे। निर्णय आज दिनांक 4-5-2022 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (आर॰ के॰ मीना) अति॰ जिला कलक्टर दौसा	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official